क्रमांक.........

निविदा प्रपत्रा का मूल्यः रु0 200बिक्री कर रु0 27= रु0 227.00

कार्यालयः सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)।

निविदा संख्या :–004 /उ0वि0शि0प0/सिस्टमसेल/2011–12 दिनांक 23–07–2011

निविदा प्रपत्रा (पार्ट 'ए' स्टेशनरी)

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) द्वारा संचालित वर्ष 2012 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के उपयोगार्थ तथा अग्रिम पंजीकण कार्यों में प्रयोग के लिये विभिन्न प्रकार की कन्टीन्युअस कम्प्यूटर स्टेशनरी जिसका विवरण निम्नवत् है की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती ह :–

आइटम नं0	स्टेशनरी का नाम पूर्ण विवरण	यूनिट	स्टेशनरी की अनुमानित संख्या शीट्स में	अनुबन्ध का स्वरूप	कम्प्यूटर फर्मो/इस कार्यालय में आपूर्ति की अन्तिम तिथि
1	इ.जेडरीड(र्म्त) फोल्डेड कन्टीन्यूअस स्टेशनरी फार्म्स, साइज 15'' ग 12'' ग1 ; 38ण्1 ग 30ण्48 से.मी.ग1द्ध सिंगिल पार्ट, 60 जी.एस.एम. सब्सटेन्स क्रीमवाव कागज पर दिये गये नमूने के अनुसार तैयार की जायेगी। फार्म के दोनो मार्जिन पर बिल्कुल साफ–साफ तथा एक समान दूरी पर ज्तंबजवत भ्वसमे किये जायेंगे जो 1100 एल.पी.एम. कम्प्यूटर प्रिन्टर के लिए भी उपयुक्त हो।	प्रति 1000 शीट् दर /	2,00,000	पूर्ण आपूर्ति होने तक	15 अक्टूबर 2011
2	इ.जेडरीड(र्म्त) फोल्डेड कन्टीन्यूअस स्टेशनरी फार्म्स, साइज 15'' ग 12'' ग2 ; 38ण्1 ग 30ण्48से.मी.ग2द्ध टू पार्ट्स 60 जी.एस.एम सब्सटेन्स क्रीमवोव सफेद कागज पर दानों फार्मों के बीच एक बार प्रयोग के लिए उपयुक्त टिश्यू पेपर पर एक साइड वाला बढिया काला कार्बन लगाया जाय। दोनों फार्म्स कार्बन सहित कम से कम 8 स्थानों पर अच्छी तरह क्रिमप्लाक्ड हों। फार्म के दोना मार्जिन पर बिल्कुल साफ–साफ तथा एक समान दूरी पर ज्तंबजवत भ्वसमे किये जायेंगे जो 1100 एल.पी.एम. कम्प्यूटर प्रिन्टर पर चलने के लिए भी उपयुक्त हो।	प्रति 1000 शीट् दर /	70,000	पूर्ण आपूर्ति होने तक	15 अक्टूबर 2011
3.	इ.जेडरीड(र्म्त) फोल्डेड कन्टीन्युअस स्टेशनरी फार्म्स,साइज 15'' ग 12'' ग3 ; 38ण्1 ग 30ण्48से.मी. ग3द्ध थ्री पार्ट्स 60 जी.एस.एम. सब्सटेन्स क्रीमवोव सफेद कागज पर तीनों पाट्र्स कार्बन सहित कम से कम 8 स्थानों पर अच्छी तरह क्रिमप्लाक्ड हों। शेष अन्य विवरण उपर्युक्त आइटम नं0 1 व 2 के अनुसार है।	प्रति 1000 शीट् दर /	55,000	पूर्ण आपूर्ति होने तक	15 अक्टूबर 2011
4.	इ.जेडरीड(र्म्त) फोल्डेड कन्टीन्यूअस स्टेशनरी फार्म्स, साइज 10" ग 12" ग1 ; 25 ग 30ण्48से.मी.ग1द्ध सिंगिल पार्ट, 60 जी.एस.एम. सब्सटेन्स क्रीमवाव कागज पर दिये गये नमूने के अनुसार तैयार की जायेगी। फार्म के दोना मार्जिन पर बिल्कुल साफ–साफ तथा एक	प्रति 1000 शीट् दर /	10,000	पूर्ण आपूर्ति होने तक	15 अक्टूबर 2011

	समान दूरी पर ज्तंबजवत भ्वसमे किये जायेंगे जा 1100 एल.पी.एम. कम्प्यूटर प्रिन्टर पर चलने के लिए भी उपयुक्त हो।				
5.	प्रि–प्रिन्टेड फोल्डेड कन्टीन्यूअस स्टेशनरी फार्म्स, (एवार्ड ब्लैक) साइज 15'' ग 12'' ग3 ;38ण्1 ग 30ण्48से.मी.ग3द्ध थ्री पाटस, 60 जी.एस.एम. सब्सटेन्स क्रीमवोव सफेद कागज पर प्रत्येक फार्म में चार प्रोफार्मा नमूने के अनुसार फार्म के एक ही ओर मुद्रण होगा। प्रत्येक प्रोफार्मा कार्बन सहित परफोरेटेड होगा। फार्म के तीनों पार्ट के बीच एक–एक बार प्रयोग के लिये उपयुक्त टिश्यू पेपर पर एक साइड वाला सफेद मार्जिन युक्त बढिया कार्बन कागज लगाया जायेगा। तीनों पार्टस कार्बन सहित कम से कम 8 स्थानों पर अच्छी तरह क्रिमप्लाक्ड होगा। फार्म के दोनों मार्जिन पर बिल्कुल साफ–साफ तथा एक समान दूरी पर ज्तंबजवत भ्वसमे किये जायेंगे, जो 1100 एल0पी0एम0 की स्पीड वाले कम्प्यूटर लाइन प्रिन्टर पर चलने के लिये उपयुक्त हो।	प्रति 1000 शीट् दर /	हाईस्कूल 30,000 शीट्स इण्टर 18,000 शीट्स	पूर्ण आपूर्ति होने तक	10 दिसम्बर 2011
6.	प्रि–प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन फार्म्स, स्टेशनरी ।–4 साइज ब्ल्ज भ्म्ग्ज सिंगलपार्ट, 80 जी.एस.एम. सब्सटेन्स क्रीमवोव कागज पर चारों कोनों पर ब्लैक स्कवायर तथा फारवर्ड नम्बरिंग के साथ, दिये गये नमूने के अनुसार दोनों ओर मुद्रण होगा। फार्म कम्प्यूटर पर स्कैन किये जाने के उपयुक्त होने चाहिए।	प्रति 1000 फार्म दर /	2,20,000 फॉर्म्स	पूर्ण आपूर्ति होने तक	15 दिसम्बर 2011
7.	प्रि–प्रिंटेड कटशीट रजिस्ट्रेशन कार्ड साइज 8.25ष्12ष्1 (21सेमीग्30.48सेमीग्1) 100 जी.एस.एम. मैपलिथों कागज पर, प्रत्येक फार्म में चार प्रोफार्मा नमूने के अनुसार एक ओर मुद्रित होंगे। प्रत्येक प्रोफार्मा **भ्वतप्रवदजंससल** तथा **टमतजपबंससल** परफोरेटेड होगा।	प्रति 1000 शीट् दर /	55,000 शीट्स	पूर्ण आपूर्ति होने तक	07 जनवरी 2012

तकनीकी भाग–

इस भाग में निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रूप से अंकित की जाये।

1– फर्म का नाम तथा कार्यालय का पता।

2– फर्म के कार्यस्थल का पता।

3– फर्म की स्थापना (माह तथा वर्ष में)

4– फर्म का स्वरूप (एकल, संयुक्त, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड/संस्था) साथ में स्वामित्व का **प्रमाण पत्रा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्रा** भी संलग्न करें।

5– गत वर्ष का टर्न ओवर।

6– पेड–अप कैपिटल।

7– गत वर्ष का लाभ।

8– आयकर एवं बिक्रीकर का पूर्ण भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्रा **(आई0टी0सी0सी0 तथा एम0टी0सी0सी0)** संलग्न करें।

9– गत वर्ष में परिषद कार्यालय को की गई आपूर्ति का अनुभव।

10– **निविदादाता फर्म को निविदा के साथ धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) रु0 20,000/– (रुपया बीस हजार मात्र) क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल के पदनाम से प्लेज करना होगा। नकद या किसी अन्य रूप में धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।**

11– आपूर्तिकर्ता फर्म के रजिस्टर्ड होने क प्रमाण स्वरूप फर्म के निविदा के साथ **डी0जी0एस0 एण्ड डी0, एन0एस0आई0सी0 अथवा डी0आई0(एस0पी0एस0)** से प्राप्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रा की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न को जाये।

निविदा दाता के हस्ताक्षर–

फर्म की मुहर–

वित्तीय भाग

स्टेशनरी की दर निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जायेंगीः–

आइटम नं0	स्टेशनरी	प्रति 1000 शीट् दर /	कर यदि कोई हो	कर सहित कुल दर
1	इ.जेडरीड(र्म्त) फोल्डेड कन्टीन्यूअस स्टेशनरी फार्म्स,			

	साइज 15'' ग 12'' ग1 ; 38ण्1 ग 30ण्48 से.मी.ग1द्ध सिंगिल पार्ट, 60 जी.एस.एम. **आइटम नम्बर–1 के अनुसार**			
2	इ.जेडरीड(म्ि) फोल्डेड कन्टीन्यूअस स्टेशनरी फार्म्स, साइज 15'' ग 12'' ग2 ; 38ण्1 ग 30ण्48से.मी.ग2द्ध टू पार्ट्स 60 जी.एस.एम **आइटम नम्बर–2 के अनुसार**			
3.	इ.जेडरीड(म्ि) फोल्डेड कन्टीन्युअस स्टेशनरी फार्म्स,साइज 15'' ग 12'' ग3 ; 38ण्1 ग 30ण्48से.मी. ग3द्ध थ्री पार्ट्स 60 जी.एस.एम. **आइटम नम्बर–3 के अनुसार**			
4.	इ.जेडरीड(म्ि) फोल्डेड कन्टीन्यूअस स्टेशनरी फार्म्स, साइज 10" ग 12" ग1 ; 25 ग 30ण्48से.मो.ग1द्ध सिंगिल पार्ट, 60 जी.एस.एम. **आइटम नम्बर–4 के अनुसार**			
5.	प्रि–प्रिन्टेड फोल्डेड कन्टीन्यूअस स्टेशनरी फार्म्स, (एवार्ड ब्लैक) साइज 15'' ग 12'' ग3 ;38ण्1 ग 30ण्48से.मी.ग3द्ध थ्री पार्ट्स, 60 जी.एस.एम. **आइटम नम्बर–5 के अनुसार**			
6.	प्रि–प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन फार्म्स, स्टेशनरी ।–4 साइज ब्ल्ज भ्म्ल्ज सिंगलपार्ट, 80 जी.एस.एम. **आइटम नम्बर–6 के अनुसार**			
7.	प्रि–प्रिंटेड कटशीट रजिस्ट्रेशन कार्ड साइज 8.25ष्12ष्1 (21सेमीग्30.48सेमीग्1) 100 जी.एस.एम. **आइटम नम्बर–7 के अनुसार**			

दर अंकों शब्दों दोनों में अंकित की जाय।

निविदा दाता के हस्ताक्षर–

फर्म की मुहर–

(क) विशेष निर्देश :–

उपर्युक्त स्टेशनरी की आपूर्ति से सम्बन्धित निविदा निम्नवत् दो भागों में प्रस्तुत की जायेगीः–

प्रथम भागः– तकनीको सूचना (ज्मबीदपबंस प्दवितउंजपवद):–

तकनीको सूचनाएं एक मुहर बन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। इस लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में 'प्रथम भाग– **तकनीकी सूचना'** लिखा जायेगा। साथ में फर्म का नाम, पता व मुहर भी अंकित होगी। इसी लिफाफे में () नमूनों का लिफाफा और (इ) अर्नेस्टमनी का बैंक ड्राफ्ट भी रखा जायेगा।

द्वितीय भागः– वित्तीय सूचना (थ्पदंदबपंस प्दवितउंजपवद)–

निविदा से सम्बन्धित वित्तीय सूचनाएं एक अलग मुहर बन्द लिफाफे में रखी जायेंगी जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में 'द्वितीय भाग– **वित्तीय सूचनाएं'** लिखा जायेगा। साथ में फर्म का नाम पता मुहर भी अंकित की जायेगी।

उपर्युक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा। इस बड़े लिफाफे को भी मुहरबन्द करके दिनांक **08 सितम्बर, 2011 को 12:00 बजे मध्याह्न तक** सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) के नाम से प्राप्त कराया जायेगा। इस लिफाफे के ऊपर भी **''पार्ट ' ।' स्टेशनरी का टेण्डर, परीक्षा वर्ष–2012''** का उल्लेख अवश्य किया जाय।

प्राप्त निविदाओं के प्रथम भाग (तकनीको सूचनाओं) का लिफाफा उसी दिन **08 सितम्बर, 2011 को 1:00 बजे अपराह्न** में खोला जायेगा। फर्मो से प्राप्त तकनीको सूचनाओं की जाच के उपरान्त उपयुक्त पाई गई फर्मो के ही वित्तीय लिफाफे (द्वितीय भाग वित्तीय सूचना का लिफाफा) खोल जायेगे। अनुपयुक्त पाई गई फर्मों के वित्तीय लिफाफे नहीं खोले जायेंगे तथा इन फर्मों के टेण्डर अस्वीकार कर दिये जायेंगे। ऐसी फर्मों का इस निर्णय से सम्बन्धित कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय सभी को स्वीकार्य होगा। **सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) प्राप्त निविदाओं में से बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।**

(ख) नियम व शर्तें

1— निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

2— नमूनों का निरीक्षणः— नमूनों का निरीक्षण तथा विस्तृत विवरण की जानकारी कार्यालय, सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के सिस्टम सेल अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।

3— नमूने दाखिल करने का निर्देश :— **निविदा के साथ प्रत्येक आइटम के अलग—अलग नमूने के तीन सैट (प्रत्येक सेट निर्धारित विवरण के अनुरूप) अवश्य संलग्न किये जाये। बिना नमूने की निविदा स्वीकार नहीं होगी। फर्म द्वारा संलग्न नमूनों पर कोई चिन्ह या विवरण अंकित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक नमूने के साथ ट्विन (ज़ूपद) तागे से एक स्लिप नत्थी की जायेगी।** इस स्लिप पर फर्म का नाम पता अंकित किया जायेगा। नत्थी के स्थान पर तथा तागे की गाँठ पर लाख लगाकर फर्म द्वारा सील लगा दी जायेगी। ये नमूने एक अलग लिफाफे में रखे जायेंगे जिस पर मोटे अक्षरों में 'नमूनों का लिफाफा' लिखा जायेगा, नमूने के इस लिफाफे को तकनीकी सूचना के लिफाफे में रखा जायेगा।

4— स्टेशनरी पर मार्किग परिषद के निर्देशानुसार डाली जायेगी।

5— जिस आइटम में कार्बन वांछित है, उसकी दर प्रति एक हजार शीट/सेट में कार्बन का मूल्य भी सम्मिलित होगा।

6— निर्धारित साइज में किसी भी प्रकार की शिथिलता/टालरेन्स अनुमन्य न होगा। सब्सटेन्स टालरेन्स आई0एस0आई0 1848—1991 के अनुसार अनमन्य होगा।

7— पैकिंग वाटरप्रूफ तथा डेमेज प्रूफ कारोगेटेड बाक्स में की जायेगी।

8— स्टेशनरी की वांछित संख्या आवश्यतानुसार घटाई अथवा बढाई जा सकती है।

9— आपूर्तिकर्ता फर्म पूर्व मुद्रित स्टेशनरी का आर्टवर्क निर्धारित समय से बनाकर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल से अनुमोदित करायेगी। इस हेतु **अलग से कोई धनराशि फर्म को देय न होगी।** इस प्रकार फर्म द्वारा बनवाया गया आर्ट वर्क परिषद कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप न किये जाने पर इसे निरस्त भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में **परिषद कार्यालय स्वयं आर्ट वर्क बनवाकर देगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय आपूर्तिकर्ता फर्म को वहन** करना होगा। आर्ट वर्क परिषद् की सम्पत्ति होगी। फर्म आर्ट वर्क की सी0डी0 परिषद् को उपलब्ध करायेगी। इस हेतु कोई धनराशि देय नहीं होगी।

10— आदेशित फर्म में स्टेशनरी तैयार हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर आपूर्ति से पूर्व स्टेशनरी का निरीक्षण फर्म के कार्यस्थल पर परिषद कार्यालय के अधिकारी द्वारा किया जायेगा और अनुमोदन के उपरान्त ही आपूर्ति प्रारम्भ की जायेगी।

11— आपूर्तिकर्ता फर्म को स्टेशनरी की आपूर्ति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार भारत के किसी भी भाग में स्थित कम्प्यूटर फर्म को तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) कार्यालय में, अपने व्यय पर करना होगा।

12— सचिव परिषद् की पूर्वानुमति बिना निर्धारित समय के उपरान्त आपूर्ति किये जाने की स्थिति में फर्म के बिल से क्षतिपूर्ति हेतु सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) द्वारा **रु0 500=00 प्रतिदिन** की दर से कटौती की जायेगी।

13— आपूर्तिकर्ता फर्म को कम्प्यूटर मशीन पर न चल पाने योग्य आपूर्ति स्टेशनरी की किसी भी संख्या को बदलने की गारन्टी देनी होगी। आपूर्तिकर्ता फर्म को यह भी गारन्टी देनी होगी कि वे आदेशित संख्या के अतिरिक्त

पूर्व मुद्रित स्टेशनरी की एक भी शीट मुद्रित नहो करेंगी तथा परिषद की स्टेशनरी या उसका आर्ट वर्क व निगेटिव किसी अन्य ग्राहक को नही बेचेगी। पूर्व मुद्रित स्टेशनरी के लिये टेण्डर दाताओं के पास जालसाजी रोकने के लिये विशेष सुरक्षा व्यवस्था तथा आवश्यक संख्या में आटोमैटिक फारवर्ड नम्बरिंग मशीन का प्रावधान होना चाहिए।

14— **निर्देशानुसार स्टेशनरी की आपूर्ति एकबार कर देने के पश्चात स्टेशनरी की आपूर्ति माँग के अनुसार और भी कई चरणों में करनी पड़ सकती है। फर्म को 31 अगस्त, 2012 तक पूरक माँग हेतु कार्यादेश किया जा सकता है। अतः फर्म को 31 अगस्त, 2012 तक स्टेशनरी उसी दर एवं उन्हीं वर्णित शर्तों पर आपूर्ति करनी होगी।**

15— रजिस्टर्ड फर्मः— आपूर्तिकर्ता फर्म के रजिस्टर्ड होने क प्रमाण स्वरूप फर्म के निविदा के साथ **डी0जी0एस0 एण्ड डी0, एन0एस0आई0सी0 अथवा डी0आई0(एस0पी0एस0**) से प्राप्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रा की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न को जाये।

16— आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा स्टेशनरी के मुद्रण तथा आपूर्ति की अवधि में यदि परिषद के सचिव अनुभव करते हैं कि फर्म के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है या मुद्रित की जा रही स्टेशनरी की गुणवत्ता या कार्य कुशलता निर्धारित स्तर के मानक के अनुसार नहीं है तो वे फर्म से कार्य वापस ले सकते है तथा एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर उस फर्म का अनुदानित कार्य अन्य फर्म को दे सकते ह। ऐसी स्थानापन्न स्थिति में होने वाला अतिरिक्त व्यय पूर्व स्वीकृत फर्म को देना होगा।

(ग) द्वितीय भाग वित्तीय सूचना —

इस भाग में निम्नलिखित सूचनाएं एवं कार्यवाही निविदादाता फर्म द्वारा किया जाना अनिवार्य हैः—

1— वर्णित नियमों एवं शर्तो के अधीन तथा भुगतान की निम्नलिखित प्रक्रिया का अध्ययन कर परिषद के नमूनों के अनुरूप निर्मित स्टेशनरी की दर सभी दरों सहित जिसमें सेवाकर भी सम्मिलित है (प्रति एक हजार शीट्स/सेट) अंकित की जाये।

2— आपूर्ति की गई स्टेशनरी के मूल्य का 90 प्रतिशत भुगतान कम्प्यूटर फमो को/परिषद कार्यालय रामनगर से, स्टेशनरी की प्राप्ति चालान के साथ बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। अवशेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान स्टेशनरी के संतोषजनक उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा। अतः उक्तानुसार ही बिल प्रस्तुत किये जायें।

3— **आपूर्तिकर्ता फर्म को निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध—पत्र रुपया 100.00 के स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षरित करना होगा तथा कार्यादेश पाने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य के कुल मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर जमानत की धनराशि बैंक गारन्टी/एकाउन्ट पे बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद के रूप में कार्य सम्पादित करने हेत, जमा करेंगे। कार्यपूर्ति धरोहर आपूर्ति कर्त्ताओं/निविदादाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्वों को जिनमें वारंटी सम्बन्धी दायित्व सम्मिलित हैं, पूर्ति करने की अवधि के दिवस से 60 दिन बाद तक वैध होना आव"यक है। किसी भी दशा में निश्चित की जाने वाली राज्यपाल को देय किसी भी धनराशि की वसूली उक्त जमानत की धनराशि से की जायेगी तथा उसके प्रति सचिव द्वारा लिखित नोटिस दिये जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर ठेकेदार उक्तवत हुई कमी की पूर्ति करेगा ठेकेदार को जमानत की राशि की वापसी ठेके का कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो जान के छः माह के पश्चात की जायेगी।**

4— आपूर्तिकर्ता फर्म के भुगतान किये जाने वाले सभी देयकों से तत्समय निर्धारित दर पर आयकर की कटौती की जायेगी।

5— प्रस्तुत दर में सेवाकर सहित सभी प्रकार के कर शामिल होंगे।

उपर्युक्त विवरण सहित सील बंद लिफाफे में लिफाफे के ऊपर **''परिषदीय परीक्षा ''पार्ट '।' सम्बन्धी स्टेशनरी का टेण्डर, परीक्षा वर्ष—2012''** अंकित कर निविदा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल के पते पर दिनांक **08 सितम्बर, 2011 को 12:00 बजे मध्याह्न तक** अथवा इस तिथि के पूर्व निश्चित रूप से जमा हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी लिफाफे दिनांक **08 सितम्बर, 2011 को अपरान्ह् 1:00 बजे खोले जायेंग**। तदोपरान्त वैध पाई गई फर्मों के वित्तीय

लिफाफा खोले जायगे। परिषद कार्यालय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है। किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।

नोटः– तकनीकी एवं वित्तीय भाग के लिफाफे अलग–अलग सील बन्द होंगे, दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा। इस बड़े लिफाफे को भी मुहरबन्द किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर–
फर्म की मुहर

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।